



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण 1940 (श10)
(सं0 पटना 754) पटना, सोमवार, 6 अगस्त 2018

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना

6 अगस्त 2018

एस0 ओ0 221 दिनांक 06 अगस्त 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करते हैं, जिन्होंने बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का पूरा प्ररूप जीएसटी आरईजी-26 फाइल नहीं किया है, किंतु 31 दिसंबर, 2017 तक केवल अनन्तिम पहचान संख्या (पीआईडी) प्राप्त किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् “ऐसे करदाता” कहा गया है), जो अब माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

2. ऐसे करदाताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

- (i) ऐसे करदाताओं द्वारा नीचे की सारणी के अनुसार ब्यौरे, अधिकारिता वाले केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को 31 अगस्त, 2018 को या उससे पूर्व फाइल करने होंगे ।

सारणी

1	अनन्तिम पहचान सं०	
2	पूर्वतर विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण सं० (करदाता पहचान सं० (टिन)/केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर रजिस्ट्रीकरण सं०)	
3	तारीख, जिसको पहली बार के लिए टोकन बांटा गया था	
4	क्या पूर्वोक्त प्ररूप जीएसटी आरईजी-26 के भाग क को क्रियाशील बनाया गया है	हां/नहीं
5	करदाता के संपर्क ब्यौरे	
5क	ईमेल आईडी	
5ख	मोबाइल	
6	सिस्टम में स्थानान्तरण न करने के कारण	
7	अधिकारी की अधिकारिता, जिसने अनुरोध किया है	

- (ii) माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) से ईमेल प्राप्त होने पर, ऐसे करदाताओं को <http://www.gst.gov.in/> पर लागइन करके "सर्विसेस" टैब में और बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन भर कर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
- (iii) समुचित अधिकारी द्वारा आवेदन का सम्यक् रूप से अनुमोदन करने के पश्चात्, ऐसे करदाता, माल और सेवा कर नेटवर्क से, आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन), एक नए जीएसटीआईएन और नए पहुंच टोकन का उल्लेख करते हुए एक ईमेल प्राप्त करेंगे।
- (iv) ऐसी प्राप्ति पर, ऐसे करदाताओं से निम्नलिखित ब्यौरे, माल और सेवा कर नेटवर्क को, 30 सितंबर, 2018 को या उससे पूर्व, migration@gstn.org.in पर, देने की अपेक्षा होगी :-
- (क) नया जीएसटीआईएन ;
- (ख) नए जीएसटीआईएन के लिए पहुंच टोकन ;
- (ग) नए आवेदन की आवेदन संदर्भ संख्या ;
- (घ) पुराना जीएसटीआईएन (पीआईडी) ।
- (v) ऐसे करदाताओं से उपरोक्त जानकारी की प्राप्ति पर, माल और सेवा कर नेटवर्क, नए जीएसटीआईएन को पुराने जीएसटीआईएन से मिलाने की प्रक्रिया पूर्ण करेगा और ऐसे करदाताओं को सूचित करेगा ।

- (vi) ऐसे करदाताओं से, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जनित करने हेतु, सामान्य पोर्टल www.gstn.gov.in पर “पहली बार लाग-इन” के रूप में पुराना जीएसटीआईएन प्रयोग करके लागइन करना अपेक्षित होगा।

3. ऐसे करदाता 1 जुलाई, 2017 से रजिस्ट्रीकृत किए गए समझे जाएंगे।

[सं0सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-3) 2307]

बिहार-राज्यपाल के आदेश,
डॉ प्रतिमा,
वाणिज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

6 अगस्त 2018

एस0 ओ0 221 दिनांक 6 अगस्त 2018 का अंग्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[सं0सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-3) 2307]

बिहार-राज्यपाल के आदेश,
डॉ प्रतिमा,
वाणिज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 6th August 2018

S.O. 221 Dated 6th August 2018—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby specifies the persons who did not file the complete **FORM GST REG-26** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 but received only a Provisional Identification Number (PID) (hereinafter referred to as “such taxpayers”) till the 31st December, 2017 may now apply for Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN).

2. The special procedure to be followed for registration of such taxpayers is as detailed below:-

- (i) The details as per the Table below should be furnished by such taxpayers to the jurisdictional nodal officer of the Central Government or State Government on or before the 31st August, 2018.

Table

1	Provisional ID	
2	Registration Number under the earlier law (Taxpayer Identification Number (TIN)/Central Excise/Service Tax Registration number)	
3	Date on which token was shared for the first time	

4	Whether activated part A of the aforesaid FORM GST REG-26	Yes/No
5	Contact details of the taxpayer	
5a	Email id	
5b	Mobile	
6	Reason for not migrating in the system	
7	Jurisdiction of Officer who is sending the request	

- (ii) On receipt of an e-mail from the Goods and Services Tax Network (GSTN), such taxpayers should apply for registration by logging onto <https://www.gst.gov.in/> in the “Services” tab and filling up the application in **FORM GST REG-01** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017.
- (iii) After due approval of the application by the proper officer, such taxpayers will receive an email from GSTN mentioning the Application Reference Number (ARN), a new GSTIN and a new access token.
- (iv) Upon receipt, such taxpayers are required to furnish the following details to GSTN by e-mail, on or before the 30th September, 2018, to migration@gstn.org.in:—
- (a) New GSTIN;
- (b) Access Token for new GSTIN;
- (c) ARN of new application;
- (d) Old GSTIN (PID).
- (v) Upon receipt of the above information from such taxpayers, GSTN shall complete the process of mapping the new GSTIN to the old GSTIN and inform such taxpayers.
- (vi) Such taxpayers are required to log onto the common portal www.gstn.gov.in using the old GSTIN as “First Time Login” for generation of the Registration Certificate.

3. Such taxpayers shall be deemed to have been registered with effect from the 1st July, 2017.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-3) 2307)]

By the order of Governor of Bihar,

DR. PRATIMA.

Commissioner-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 754-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>